राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 290/2008

भवानी सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्ष्ज्ञज्ञ, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सिरोही राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2008
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरपत सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारम्भ में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयन किया जाकर आदेश दिनांक 28.06.1990 (अनुलग्नक–1) द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.11.1994 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवा में नियमित किया गया। आदेश दिनांक 8/7.09.1997 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवा में स्थायी किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक पद की वांछित योग्यता एवं अनुभव रखता है। बावजूद इसके अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई और न ही कनिष्ठ लिपिक पद की वेतन श्रृंखला दी गई। अपीलार्थी विगत लम्बे समय से प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद का कार्य निष्पादित कर रहा है तथा प्रत्यर्थीगण को इस सम्बन्ध में कई बार विनती की जा चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार प्रति वर्ष लिपिक पद हेतु रिक्त पदों का निर्धारण भी नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की इस उदासीनता के कारण अपीलार्थी काी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा बावजूद निर्धारित योग्यता के अपीलार्थी निम्न पद की वेतन श्रृंखला पर वेतन प्राप्त कर रहा है। अतः माननीय अधीकरण अपीलार्थी को वह जब से कनिष्ठ लिपिक पद का कार्य सम्पादित कर रहा है, उस दिनांक से कनिष्ठ लिपिक पद की वेतन श्रृंखला समस्त अनुसांगिक लाभों के साथ

प्रदान कराये जाने के आदेश प्रसारित करावें एवं नियुक्ति प्राधिकारी/प्रत्यर्थीगण को रिक्त पदों का निर्धारण करने का भी आदेश प्रदान करावें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता रखने के कारण उसका नाम कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु तैयार की गई सूची में सम्मिलित था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लेब–बॉय से कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमों के तहत प्रदान की जाती है तथा नियमानुसार कुल रिक्त पदों के 15 प्रतिशत पदों पर इस हेतु तैयार सूची में से निर्धारित योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लेब–बॉय अभ्यंश (Quota) से पदोन्नति दी जाती है। किन्तु पदोन्नति हेतु कुल निश्चित संख्या में पदों का विवरण उपलब्ध न होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक पद पर नहीं की जा सकी। चूंकि कार्य की आवश्यक्ता एवं अपीलार्थी की कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता धारण करने के कारण अपीलार्थी को कुछ समय के लिये कनिष्ठ लिपिक पद का कार्य कुछ समय के लिये सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अतः अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत रहते हुए कनिष्ठ लिपिक पद की वेतन श्रृंखला या अनुसांगिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों से स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि अपीलार्थी ने जो अपने पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की है कि अनुभव के आधार पर एल.डी.सी के पद मर पदोन्नत किया जावे, क्योंकि अपीलार्थी ने एल.डी.सी. के पद पर कार्य किया है। हमारे मत में मात्र अन्य पद का कार्य ग्रहण कर लेने से उस पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं है, इसके लिए समस्त निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता का जवाब एवं बहस ग्राहय योग्य है कि विभाग में वर्ष 2000–2013 तक एल डी सी का पद रिक्त नहीं है साथ ही इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये 15 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा आरक्षित किया गया है उसमें भी पद रिक्त नहीं होने से अपीलार्थी इस प्रकार के लाभ का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद का कार्य करने से पदोन्नति का प्रधानाचार्य के प्रमाण पत्र से पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

Sd/-

(असलम मेहर)
सदस्य

Sd/-

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य